फर्द अहकाम

नरायण बनाम राज्य

181/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/2/25 को पेश हो।	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. वकील उभयपक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि वो प्रकरण में आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करे अन्यथा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित कर दिया जायेगा। पत्रावली दि0 10/2/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
10/2/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/2/25 को पेश हो।	
17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 03/3/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
3/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

(1)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर, जयपुर (राज०)

[illegible]: 181/2012

[illegible]: 03/03/2025

[illegible] पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र-75 वर्ष जाति बगड़ा ब्राह्मण निवासी [illegible] मनोहरपुरा तहसील सांगानेर जिला-जयपुर (राज०) —वादी

बनाम

[illegible] पुत्र ग्यारसीलाल जाति ब्राह्मण

प्रहलाद पुत्र ग्यारसीलाल " "

श्रीमती कृष्णा बेवा महेश " "

श्रीमती मंगली बेवा ग्यारसी लाल " "

मूलचन्द पुत्र जगन्नाथ (मृतक)

5/1 हनुमान पुत्र स्व० श्री फुलचन्द उर्फ मूलचन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण

5/2 गोपाल " " " " " " " "

5/3 रामेश्वर " " " " " " " "

निवासीयान समस्त ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

5/4 श्रीमती शान्ति देवी पुत्री स्व० फूलचन्द उर्फ मूलचन्द पत्नी श्री गोविन्द नारायण निवासी प्लाट नं. 101 हीरापुरा पावरहाउस के पीछे सुमन कॉलोनी अजमेर रोड जयपुर (राज०)

5/5 श्रीमती गोपाली देवी पुत्री स्व० फूलचन्द उर्फ मूलचन्द पत्नी श्री बाबूलाल निवासी ग्राम भानपुर कला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)

गोपाल पुत्र भैरू जाति ब्राह्मण

हरी पुत्र " " "

नानगा पुत्र " " "

निवासीयान ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज०)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर (राज०)

दावा बाबत घोषणा व विभाजन

अन्तर्गत धारा 88 व 53 RTA 1955

x x x

निर्णय

दिनांक: 03/03/2025

वादी ने दावा बाबत घोषणा व विभाजन अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर मे स्थित आराजी

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खसरा नम्बरान (मुताबिक सम्वत 1987) 224 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, रकबा 7 बिस्वा, 243 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा बिस्वा, 296 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 321 रकबा 11 बिस्वा, 322 रकबा बीघा 8 बिस्वा, 330 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 331 रकबा 2 बीघा, रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 352 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 354 रकबा बिस्वा (कुल 21 बीघा 11 बिस्वा) है जो ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर है पहले ग्राम मनोहरपुरा जयपुर मे था, का खातेदार काश्तकार गुमाना पुत्र भीमा कौम बागड़ा ब्राह्मण निवासी मनोहरपुरा था। गुमाना की मृत्यु हो चुकी है वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 उसके उत्तराधिकारी है।

वाद खण्ड 5 मे वर्णित भूमि के बन्दोबस्त सम्वत् 2015 मे खसरा नम्बरान् 342 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, 347 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 348 रकबा 4 बिस्वा, 349 रकबा 3 बिस्वा, 350 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 345 रकबा 2 बीघा, 342/382 रकबा 2 बीघा, 332 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 341 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 278 रकबा 1 बिस्वा, 281 रकबा 16 बिस्वा, 343 रकबा 2 बिस्वा, 346 रकबा 3 बिस्वा, बने है। खतवा नम्बर 278, 281, 343, 346 पर इन्द्राज रामनारायण पुत्र गुमाना, मूलचन्द पुत्र जगन्नाथ 1/2 भाग तथा देवा, काना पिसरान लाला 1/2 भाग तथा शेष उक्त भूमि पर रामनारायण पुत्र गुमाना व मूलचन्द पुत्र जगन्नाथ का बहिस्सा बराबर इन्द्राज हुआ।

वाद खण्ड 1 व 2 मे वर्णित भूमि के बन्दोबस्त हाल (1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009) मे आराजी खसरा नम्बरान् 573 रकबा 25 ऐयर, 575 रकबा 22 ऐयर, 577 रकबा 19 ऐयर, 578 रकबा 18 ऐयर, 579 रकबा 15 ऐयर, 580 रकबा 60 ऐयर, 582 रकबा 62 ऐयर, 589 रकबा 3 ऐयर, 590 रकबा 3 ऐयर, 591 रकबा 8 ऐयर, 592 रकबा 14 ऐयर, 593 रकबा 4 ऐयर, 594 रकबा 12 ऐयर, 595 रकबा 33 ऐयर, 596 रकबा 29 ऐयर, 594/705 रकबा 3 ऐयर तथा 506 रकबा 14 ऐयर, 507 रकबा 22 ऐयर, 604 रकबा 30 ऐयर, 605 रकबा 48 ऐयर बने है।

गुमाना के तीन लड़के चन्दा, रामनारायण तथा जगन्नाथ हुये जिसमे से चन्दा अविवाहित निःसन्तान मर गया। इस प्रकार वाद में उक्त वर्णित आराजी के रामनारायण व जगन्नाथ बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार हुये। रामनारायण व जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है। रामनारायण के प्यारेलाल पुत्र हुआ है इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। रामनारायण के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उसके उत्तराधिकारी है। जगन्नाथ के वादी कल्याण और प्रतिवादी मूलचन्द पुत्र है। इस प्रकार से उक्त आराजी में वादी तथा

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...संख्या 5 मूलचन्द का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी संख्या ... 4 का 1/2 भाग है और इसी प्रकार से काबिज है ... काश्त करते है और इन्होने इसी भूमि पर रिहायशी ... बना रखे है। प्रतिवादी सं. 6, 7 व 8 का इस जमीन से ... सम्बन्ध नही है। किन्तु गुमाना की मृत्यु के पश्चात् ...नारायण तथा मूलचन्द का नाम गलत दर्ज हुआ है। इसी ...र से ग्यारसीलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी नम्बर ...लगायत 5 का नाम भी गलत दर्ज हुआ है। चूंकि जगन्नाथ ...दो लडके मूलचन्द प्रतिवादी व कल्याण वादी है मूलचन्द ...साथ 1/2 भाग मे वादी भी हिस्सेदार है और इस प्रकार से ...त आराजी मे वादी का 1/4 भाग, मूलचन्द प्रतिवादी का ...4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 का 1/2 भाग है। ...कि वादी उक्त भूमि का 1/4 भाग के अनुसार काबिज रहे है ...न्तु प्रतिवादीगण, वादी के हित व अधिकारो से मना करने ... और भूमि को हस्तान्तरित करने की धमकी दे रहे है। चूंकि ...ब तक प्रतिवादीगण ने वादी के हित व अधिकारो से मना ...ही किया और ना कब्जा मे हस्तक्षेप किया। इसलिए वादी ... राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज कराने दावा करने को ...जबूर होना पड़ा है यही कारण वाद के है। वादी का वाद ...रुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी मे वादी ...ा 1/4 भाग है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने ...का अधिकारी है तथा विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से ...की भूमि अलग की जाकर उसको अलग कब्जा कराया जावे ...तथा अलग खाता एवं लगान का निर्धारण किया जावे।

वादप्रदावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 5 उपरान्त प्रतिवादी सं. 4 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 14/03/2007 को की गई। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित होने पर दिनांक 06/08/2007 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का जवाब पेश नही होने पर दिनांक 07/08/2007 जवाबदावा बन्द कर दिया। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। जिसका मुख्य रूप से इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी के रामनारायण व जगन्नाथ का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार होना स्वीकार है रामनारायण व ग्यारसीलाल की मृत्यु होना स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उसके उत्तराधिकारी होना स्वीकार है। गुमाना की मृत्यु के बाद रामनारायण

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...चन्द ही भूमि को काश्त करते थे, इस कारण से नाम सही ...हुआ है। वादी के हिस्से में जो भूमि आई है को वादी ने पूर्व ... विक्रय कर दिया था तथा क्रेताओं ने उक्त भूमि पर भवनो ... निर्माण करा लिया है वादी का शेष भूमि में कोई हिस्सा ... नही रहा। वादी एवं प्रतिवादी के बीच पूर्व मे करीब 30 वर्ष से ...आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा हो गया था तथा ख०न० 595, 596, 604 एवं 605 की भूमि वादी के हिस्से मे आई थी उक्त भूमि ख०न० 595 मे से 25 ऐयर भूमि ग्यारसीलाल ने विक्रय कर दी तथा शेष भूमि वादी के पास रही। वादी के पास 1.15 हैं० भूमि शेष रही। उक्त भूमि ... मे से भी वादी ने खसरा नम्बर 604 व 605 को विक्रय कर दी तथा अन्य भूमियो मे से भी भूमि को विक्रय कर दिया है जिस पर क्रेताओ के मकान बन गये है। प्रतिवादी के पास ख०न० 578, 580, 575, 593 एवं 594 भूमि प्रतिवादी के पास आपसी समझौते के आधार पर रही जिस पर वह काबिज है। ख०न० 578, 580 प्रतिवादी ने मिक्सचर की मशीन लगा रखी है जो मौके पर चालू है, उक्त भूमि मे ही प्रतिवादी ने 10 कमरे बना रखे है जिसमे मजदूर रहते है जो मौके से स्पष्ट है कि आपसी सहमति से उसके हिस्से मे दर्ज है। जिस पर बोरिंग लगा रखा है जिसमे बिजली का कनेक्शन प्रतिवादी के लड़के रामेश्वर के नाम से लगा है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को पूर्व मे ही विक्रय कर दिया तथा जो भूमि उसके हिस्से मे आई थी, उस पर काबिज है। उक्त सभी तथ्य जानते हुऐ भी वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का वादी ने जवाबउल जवाब पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 5 का यह कहना गलत है कि सुगना की मृत्यु के बाद रामनारायण एवं मूलचन्द ही भूमि को काश्त करते हो जबकि वादी का सम्पूर्ण आराजी खसरा भूमि के 1/4 भाग पर शुरू से अधिकार बनता है वादी के द्वारा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का कोई बेचान आदि नही किया है जबकि वादी के हिस्से की जमीन के कुछ भाग को प्रतिवादी सं. 4 ने अनाधिकृत तरीके से अपने कब्जे मे ले रखा है शेष बची भूमि पर वादी बदस्तूर काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 595 की कुल भूमि 33 एयर, जो कि ग्यारसीलाल के नाम से दर्ज थी तथा ग्यारसीलाल ही काबिज काश्त था और ग्यारसीलाल के द्वारा ही उक्त भूमि मे से 25 ऐयर भूमि का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया तथा शेष आठ ऐयर भूमि को वादी ने खरीद की गयी है तथा ख०न० 604 व 605 का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध मे यह है कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 की शामलाती भूमि है और दोनो का उक्त भूमि पर हिस्सा 1/2-1/2 बनता है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि ख०न० 593, 590, 579, 581, 594, 595, 596 व 507 573, 577, 578 580, 582,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

१७३, 531, 592, 534/705, 604 व 605 में वादी का 1/4 भाग
का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी है।

वादी की तरफ से साक्ष्य भी ल्याकर शामिल पत्रावली की गई। वादी ने अपने वाद के समर्थन में मिसल हकियत बन्दोबस्त सम्वत् 1987 मौजा- मनोहरपुरा प्रदर्श-1, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2034 प्रदर्श-2, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2034 प्रदर्श-2, खतौनी बन्दोबस्त भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग सम्वत् 2015-2034 प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 ग्राम मनोहरपुरा प्रदर्श-4, जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 प्रदर्श-5 पेश किये है।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र हनुमान, श्रवण, के पेश किये गये। जो पत्रावली में शामिल किये गये।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाबदावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादी ने दावे में अंकित तथ्यों में वादग्रस्त आराजी किसाधत से आना कहीं नहीं बताया। जमीन जागीरदार की थी गुमाना काश्त करता था एक भी दस्तावेजात पेश नहीं किया जिसमे गुमाना उप कृषक था। सम्वत् 1987 की मिसल हकीयत में अमर सिंह जागीरदार का नाम है, गुमाना उप काश्तकार के नाम नहीं है खतौनी बन्दोबस्त में कालम नं. 3 में दौलत सिंह के नाम है। टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में पर Ex-2 में रामनारायण वल्द गुमाना व मुल्या वल्द जगन्नाथ हि० 1/2 तथा देवा व काना पि० लाला हिस्सा बराबर साकिन देह हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रदर्श-3 से वादग्रस्त आराजी खालसा की जमीन है जिसमे रामनारायण वल्द गुमाना हि० 1/2 मुल्या वल्द जगन्नाथ हिस्सा 1/2 ख०न० 338 व 341 ही है। जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में ख०न० 604 व 605 भूरू चन्द, कल्याण पि० जगन्नाथ जाति ब्राह्मण ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज है तथा ख०न० 506 व 507 में ग्यारसीलाल पुत्र रामनारायण, मुल्या पुत्र जगन्नाथ हि० 1/2, भैरू पुत्र मोती हि० 1/2 कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः वाद का वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, जवाबदावा, जवाबउलजवाब, साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी का आद्योपान्त अवलोकन करते व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 1987 की मिसल हकीयत में अमर सिंह जागीरदार का नाम दर्ज है जिसमे गुमाना उपकाश्तकार में नाम नहीं है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 में खाता नं. 54 में रामनारायण वल्द गुमाना व मुल्या वल्द जगन्नाथ हि० 1/2, देवा व काना पि० लाला हि. बराबर सा.देह

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हिस्सा 1/2 दर्ज है। तथा स्वतौनी बन्दोवस्त सम्वत 2015 से 2034 के खाता नं. 10 में खालसा दर्ज है व कालम नं. 5 में कृषक के रूप में रामनारायण वल्द गुमाना कौम ब्राह्मण देह हि० 1/2, मूल्या वल्द जगन्नाथ कौम ब्राह्मण सा. देह हि० 1/2 दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जागीरदारी से राज० टीनेन्सी एक्ट लागू होने पर प्रतिवादी कृषक के रूप में रामनारायण वल्द गुमाना कौम ब्राह्मण देह हि० 1/2 मूल्या वल्द जगन्नाथ कौम ब्राह्मण सां. देह हिस्सा 1/2 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ हैं। वादग्रस्त आराजी आराजी पर गुमाना जागीरदार की भूमि पर काश्त करने का कोई दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किया जिसमे गुमाना उप कृषक रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी गुमाना की विरासत (पैतृक) सम्पत्ति नही है बल्कि प्रतिवादी कृषक रूप मे जागीरदारी से राज० टीनेन्सी एक्ट लागू होने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ है वादग्रस्त आराजी मे पैतृक सम्पत्ति नही होने के कारण वाद वादी खारिज योग्य है।

अतः आदेश दिये जाते है कि वादी का वाद आराजी खसरा नम्बरान 593, 590, 579, 589, 594, 595, 596, 507, 573, 577, 578, 580, 582, 579, 591, 592, 534/705, 604, व 605 ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर गुमाना की विरासत (पैतृक) सम्पत्ति नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को खुले न्यायालय मे सरे आम सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)